7/10/25

25/9/2025 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब पेश किया। प्रति प्रार्थी अभिभाषक को दिलाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07/10/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

07/10/2025 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश किये जाने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य मिसल एवं आदेश दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

16-10-25 पत्रावली पेश। अभिभाषक उभय पक्षकारान उप० बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णीत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रकरण संख्या :– 37 / 24
उनवान :– बाबूलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–16.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 37 / 24
दायर दिनाँक :– 25.06.2024
निर्णय दिनाँकः– 16.10.2025

उनवान :– बाबूलाल

बनाम

सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री गजेन्द्र नामा, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सराकर पैरोकार उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम " मथरालाल पुत्र मांगीलाल " दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम " बाबूलाल पुत्र मांगीलाल " है।

प्रार्थना–पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना की उक्त नाम को दुरस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में " मथरालाल " के स्थान पर " बाबूलाल " दर्ज किया जाए। प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या नया 69 पुराना 69 कुल किता 01 ग्राम बुधवाडा पटवार हल्का टोडरीमीरां तह0 मनोहरथाना सम्वत् 2073–2076 की प्रति प्रस्तुत की है।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया।

प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दरतावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि " मथरालाल " ही " बाबूलाल " जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा बाबूलाल को गलत तरीके से जमाबंदी में मथरालाल दर्ज कर दिया गया है।

प्रकरण संख्या :— 37 / 24
उनवान :— बाबूलाल बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—16.10.2025

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, मनोहरथाना